जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः—जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 14 / डी— 1120 दिनांकः— 2/9/14

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **110वीं बैठक दिनांकः 28.08.14 को** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		110:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 109वीं बैठक दिनांक 07.08.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 103वीं से 109वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 109वीं बैठक दिनांक 07.08.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 103 से 109 की पालना की समीक्षा के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः— 1. जिन प्रकरणों में पालना प्राप्त हो गई है। उनको सूची से हटाया जावे। 2. प्रस्ताव संख्या 105:5 व 105:6 के सम्बन्ध में उपायुक्त जोन—13ए द्वारा यह बताया गया कि दोनों प्रकरणों में रोड एप्रोच उपलब्ध न होने से एजेण्डा नहीं बनाया गया। आयुक्त महोदय ने उक्त प्रकरण ड्राप करने के निर्देश दिये। 3. प्रस्ताव संख्या 106:7(3) में मॉडल टाउन जगतपुरा में उच्च जलाशय के निर्माण हेतु लिये गये निर्णय की पालना हेतु उपायुक्त जोन—4 को तत्काल कार्यवाही हेतु लिखा जावे। 4. जिन निर्णयों की पालना की जानी शेष है, उनकी पालना आगामी बैठक से पूर्व करने के निर्देश उपायुक्तों को दिये गये।
2.	1	110:2	राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद को आवंटित भूखण्ड संख्या 2, संस्थानिक क्षेत्र, दैनिक भास्कर कार्यालय के पास के आवंटन पत्र में संशोधन बाबत।	राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष द्वारा भूखण्ड का आवंटन कार्यालय उपयोग के स्थान पर कार्यालय, रिक्रियेशनल क्लब, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन व कान्फ्रेन्स हॉल हेतु किये जाने का अनुरोध किया है। परिषद् को पूर्व में विद्याश्रम स्कूल के सामने भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 3267.46 वर्गमीटर केवल कार्यालय उपयोग हेतु आवंटित किया गया था। निदेशक (नगर आयोजना) की टिप्पणी के अनुसार मास्टर विकास योजना—2025 में प्रार्थना पत्र में वर्णित कार्यकलापों को पब्लिक / सेमी पब्लिक कार्य हेतु अनुज्ञेय बताया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर संस्था को आवंटित भूमि का प्रयोजन उक्तानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया।
	1	110:3	श्री लालचन्द कुमावत को साईट एण्ड सर्विस योजना, मालवीय नगर जयपुर में आवंटित भूखण्ड संख्या 44 / 4 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 13 / 4 विनिमय करने बाबत।	श्री लालचन्द कुमावत को साईट एण्ड सर्विस योजना मालवीय नगर जयपुर में भूखण्ड संख्या 44 / 4 वर्ष 1995 में आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड का आवंटन पूर्व में श्रीमति आशा कुमारी को कर दिये जाने के कारण भूखण्ड संख्या 44 / 4 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 13 / 4 आवंटन करने हेतु उपायुक्त जोन द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्तानुसार भूखण्ड विनिमय करने का

उप आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JDA/EDP/R-2435 3/9/14

				निर्णय लिया गया।
4.	8	110:4	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 33/11 केवी के लिये नारायण विहार सी व टी में 109 वीं बैठक में लिये गये निर्णय में संशोधन कर निःशुल्क आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 109 वीं बैठक में जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को निजी खातेदारी की योजना नारायण विहार सी में सृजित सुविधा क्षेत्र में से 500 वर्गमीटर तथा नारायण विहार टी योजना में सृजित सुविधा क्षेत्र में से 500 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी जीएसएस हेतु योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। संस्था निःशुल्क आवंटन चाहती है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण निःशुल्क आवंटन करने हेतु सक्षम नहीं है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जविप्रा स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
5.	7	110:5	सुश्री अपूर्वी चन्देला को 20वां राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप चित्रकूट योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	सुश्री अपूर्वी चन्देला के द्वारा कॉमनवैल्थ गैम्स 2014 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के फलस्वरूप राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया है। उपायुक्त जोन–7 ने चित्रकूट योजना में भूखण्ड संख्या सी–621ए क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का उपलब्ध होने से आवंटन हेतु प्रस्तावित किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत पदक विजेता खिलाडियों को 220 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का प्रावधान है। बैठक में सुश्री अपूर्वी चन्देला को चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या सी–621ए क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का सिद्धान्ततः निर्णय लिया गया। उक्त भूखण्ड निर्धारित सीमा (220 वर्गमीटर) से अधिक होने के कारण बढे हुये क्षेत्रफल 32 वर्गमीटर के आवंटन की स्वीकृति व दर के सम्बन्ध में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने का भी निर्णय लिया गया।
6.	13ए	110:6	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पात्र 7 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार निम्नांकित 7 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा समस्त रिक्त नॉन कार्नर भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा निम्न आवेदकों में प्रत्येक को एक भूखण्ड आवंटन किया जावेः– 1. श्री अब्दुल अजीज खान 2. श्रीमति मृदुला शर्मा 3. श्री भौंरीलाल मीणा 4. श्री मुनव्वर खान 5. श्री हुकुम सिंह नौहवार 6. श्री मुरली बाबू भार्गव 7. श्रीमति डी. कविता
7.	9	110:7	जगतपुरा महल रोड में विशेष जल योजना हेतु 17 स्थानों पर भूमि आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हैड वर्क्स व एस आर के लिए निम्न सूची के कॉलम नं. 4 में वर्णित क्षेत्रफल योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गयाः–

उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>योजना का नाम</th><th>योजना में उपलब्ध क्षे0 व. मी. में</th><th>आवंटित किये जाने वाला क्षेत्रफल व.मी. में</th><th>योजना निजी खातेदारी / गृ. नि.स.स. / जविप्रा</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1</td><td>आशिष विहार</td><td>2590</td><td>2590</td><td>गृ.नि.स.स.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री राम नगर</td><td>2508</td><td>2508</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रेम सागर</td><td>2418</td><td>2418</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रेम सागर</td><td>1810</td><td>1000</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>5</td><td>कृष्णा कुंज</td><td>3510</td><td>1500</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>6</td><td>टील[illegible]</td><td>1680</td><td>1400</td><td>जविप्रा</td></tr>
<tr><td>7</td><td>बजरंग दीप प्रथम</td><td>1162</td><td>1162</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>8</td><td>नंदन एनक्लेव</td><td>800</td><td>800</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>9</td><td>रॉयल एनक्लेव सी ब्लॉक</td><td>970</td><td>970</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>10</td><td>महल योजना सी एवं डी ब्लॉक</td><td>5590</td><td>5000</td><td>जविप्रा</td></tr>
<tr><td>11</td><td>महल सी एवं डी ब्लॉक</td><td>1608</td><td>1608</td><td>जविप्रा</td></tr>
<tr><td>12</td><td>ओरियन्टल आर्केड</td><td>3123</td><td>1562</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>13</td><td>चककरोल</td><td>2250</td><td>2250</td><td>जविप्रा</td></tr>
<tr><td>14</td><td>रामनगरिया विस्तार</td><td>1710</td><td>1710</td><td>जविप्रा</td></tr>
<tr><td>15</td><td>बैंक कॉलोनी विस्तार</td><td>1420</td><td>1420</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>16</td><td>जेवियर आर्केड प्रथम</td><td>2175</td><td>2175</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
<tr><td>17</td><td>शिव ऑफिसर्स कैम्पस</td><td>1170</td><td>1170</td><td>निजी खातेदारी</td></tr>
</table>
उक्त योजनाओं में आवंटन से शेष सुविधा क्षेत्र की भूमि का निस्तारण उपायुक्त जोन द्वारा किया जावे।
</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>12</td><td>110:8</td><td>राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भांकरोटा को भांकरोटा ई.डब्ल्यू.एस. स्कीम में भूमि आवंटन करने बाबत।</td><td>समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भांकरोटा हेतु ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 140 जविप्रा की भांकरोटा ई. डब्ल्यू.एस. स्कीम में विद्यालय हेतु आरक्षित 1555.55 वर्गगज भूमि योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
</table>

एलपीसी की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14 में शनिदेव सांई नाथ ट्रस्ट को सवाई गैटोर योजना में भूखण्ड संख्या 95 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर योजना की आरक्षित दर पर आवंटन की सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुये सोसायटी एक्ट में रजिस्टर्ड न होने व उक्त क्षेत्र नगर निगम सीमा में स्थित होने के कारण शिथिलता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा शनि मंदिर को हटाने का दबाव लगातार होने के कारण समिति द्वारा आवंटन पत्र जारी करते हुये राज्य सरकार से पोस्ट फैक्टो अनुमोदन प्राप्त किया जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न धार्मिक स्थलों यथा मंदिर / मस्जिद / गुरूद्वारा / चर्च इत्यादि को भूमि आवंटन के प्रकरणों में आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 में वर्णित बिन्दु संख्या 1.1 में सोसायटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखा जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, एवं नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 110वीं बैठक दिनांक 28.08.14 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री गिरिराज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (आर0एम0 एण्ड सी0)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री हरिसिंह मीणा, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
8.	श्री सुनील भाटी, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
9.	श्रीमति विनिता सिंह, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
10.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
11.	श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
12.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
13.	श्री प्रभात गोस्वामी, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित